जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड़
खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष 0141–5192407
Email : jmrc.pro@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

हाईकोर्ट ने जयपुर मेट्रो के खिलाफ दायर प्रार्थना पत्र खारिज किया

14 अक्टूबर, 2015 जयपुर। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन जनहित याचिका शीर्षक यदुनाथ दशानन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (DBCW 8864/2014) के अन्तर्गत याचिकाकर्त्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दायर कर चाँदपोल द्वार के समीप चल रहे मेट्रो टनल बोरिंग कार्य के कारण विरासत को हानि पहुँचाने की आशंका व्यक्त की गई थी और मेट्रो के कार्य को रोकने की प्रार्थना की थी।

उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा विस्तृत प्रत्युत्तर मय तकनीकी रिपोर्ट के उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया था कि उक्त कार्य विशेषज्ञों की देखरेख में हो रहा है। साथ ही नवीनतम उच्च स्तरीय उपकरण भी कार्य स्थान पर स्थापित किये गये हैं, जिनसे चाँदपोल गेट को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचने की आशंका निर्मूल साबित होती है।

याचिकाकर्ता के उक्त प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक 14.10.2015 को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री अजीत कुमार सिंह व माननीय न्यायाधिपति श्री ए. एस. ग्रेवाल की खण्डपीठ में सुनवाई हुई।

इस सुनवाई में माननीय न्यायालय ने जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रत्युत्तर, विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तथा कुशल अभियंताओं व विरासत संरक्षण विशेषज्ञों की देखरेख में किये जा रहे मेट्रो कार्य पर सन्तोष जाहिर किया तथा मेट्रो रेल को जयपुर की आवश्यकता बताते हुए प्रार्थी की आशंकाओं व उन पर आधारित प्रार्थना पत्र को सारहीन व आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद व अधिवक्ता श्री संदीप पाठक ने पैरवी की।

जनसंपर्क अधिकारी